

जिला एन्टी रैगिंग समिति – कानपुर नगर प्रशासन

क्रम	पदनाम	मोबाइल न०
1	जिलाधिकारी, कानपुर नगर	9794020000
2	अपर जिलाधिकारी, कानपुर नगर	9454416400
3	ए०सी०एम षष्ठम, कानपुर नगर	9454416406
4	क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर नगर	9412544824
5	कुलसचिव एच०बी०टी०यू० कानपुर	9721456021

संस्थान प्रशासन (सम्पर्क सूत्र)

क्रम	नाम	पद नाम	मोबाइल न०	ई-मेल आई०डी०
1	निदेशक कार्यालय		05122583221 05122581111	info@aith.ac.in
2	श्री गौरव चन्द्रा	डीन पी०डी०एफ	9453042766	gaurav@aith.ac.in
3	डा० राजेश कुमार	डीन छात्र कल्याण	9415067979	rajesh@aith.ac.in
4	श्री ओम हरी	एस०डीन शैक्षणिक	8005495163	omhari@aith.ac.in
5	श्री मनीष सिंह राजपूत	एस०डीन आई०आर०डी०सी	8005495170	msr@aith.ac.in
6	श्री धीरज कुमार पाण्डेय	सहायक कुलसचिव	8005495180	dheeraj@aith.ac.in
7	श्री प्रमोद कुमार सिंह भदौरिया	व्यक्तिगत सहायक (निदेशक)	8005494582	pramod@aith.ac.in

(Rush)
27/7/18

(डॉ० राजेश कुमार)

चीफ प्रॉक्टर/डीन, छात्र कल्याण
सदस्य सचिव, रैगिंग निरोधी समिति

(Rush)
27.7.18

(प्र० रचना अस्थाना)

निदेशक
अध्यक्ष, रैगिंग निरोधी समिति

नियम

रैगिंग रोकथाम हेतु सम्बंधित समिति, दस्ते के पदाधिकारियों एवं सदस्यों हेतु सामान्य एवं अनिवार्य नियम

1. रैगिंग निरोधी समिति में शामिल समस्त पदाधिकारियों, सदस्यों द्वारा आहूत की जाने वाली बैठक में भाग लेना अनिवार्य होगा।
2. रैगिंग रोकथाम हेतु गठित विभिन्न दस्तों के संयोजकों द्वारा अपनायी गई प्रक्रिया तथा उनके द्वारा विभिन्न सदस्यों को आवंटित दायित्वों हेतु एक रजिस्टर तैयार करना होगा। जिसे प्रत्येक सप्ताह के अन्त में रैगिंग निरोधी समिति के सदस्य सचिव के माध्यम से अध्यक्ष को अवलोकित कराना होगा।
3. प्रत्येक दस्ते को आवंटित छात्रावास के साथ-साथ उसके आसपास के ऐसे स्थानों को चिन्हित करके वहाँ पर दस्ते के सदस्यों द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जायेगी जहाँ पर छात्रों की जमावड़ा होने की संभावना रहती है।
4. छात्रावास के भीतर रैगिंग की प्रभावी रोकथाम की जिम्मेदारी संबंधित छात्रावास अधीक्षक/अधीक्षिका, सहायक छात्रावास अधीक्षक/अधीक्षिका की होगी।
5. अपरिहार्यता की स्थिति में आवश्यकता पड़ने पर विशेष प्रकरण संस्थान में गठित रैगिंग निरोधी समिति को संदर्भित किये जा सकेंगे।
6. छात्रावास अधीक्षक, संयोजक का दायित्व होगा कि संस्थान प्रशासन एवं रैगिंग निरोधी दस्ते के आवश्यक फोन नं० छात्रावास में नवप्रवेशित छात्रों के विंग में चस्पा कर दें।
7. प्रत्येक दस्ते के संयोजक को सप्ताह में एक बार अपने सदस्यों के साथ बैठक करके आवश्यक कार्यवाही की जायेगी तथा दायित्वों का आवंटन किया जायेगा।
8. छात्रावास में रैगिंग निरोधी नियमों से नवप्रवेशित छात्रों/पुरातन छात्रों को अनिवार्य रूप से अवगत कराना होगा।
9. संस्थान परिसर में कार्यदिवस, उसके उपरान्त, उसके पहले विभिन्न शिक्षकों/कर्मचारियों की ड्यूटी समय रहते उपलब्ध करायी जायेगी।


27/7/18

(डॉ० राजेश कुमार)
चीफ प्रॉक्टर/डीन, छात्र कल्याण
सदस्य सचिव, रैगिंग निरोधी समिति


27.7.18

(प्र० रचना अस्थाना)
निदेशक
अध्यक्ष, रैगिंग निरोधी समिति